पं०-08/-क्र०-524/दि०-26-08-2020

संख्या– 880/XVIII(1)/2020-02(17)/2009

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 25 अगस्त, 2020

विषयः– राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों को पुनर्गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1690, दिनांक 23.07.2018 एवं पत्र संख्या–5525, दिनांक 04.05.2020 के सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजस्व क्षेत्रों का परिसीमन होने तथा अतिरिक्त तहसीलों के सृजन होने से कार्य संचालन में हो रही कठिनाईयों के दृष्टिगत् नये राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों को पुनर्गठित किये जाने के दृष्टिगत् निम्न तालिकानुसार 51 पद राजस्व निरीक्षक तथा 51 अनुसेवक/चैनमैन के कुल 102 (51+51) अस्थायी पद दिनांक 28.02.2021 तक, बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायं, सृजित करने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	जनपद	जनपद में सृजित तहसील/उप तहसीलों की संख्या	कुल रा0उ0नि0 (पटवारी/लेखपाल) क्षेत्रों की संख्या	पूर्व में स्वीकृत रा0नि0 क्षेत्रों की संख्या	अतिरिक्त रा0नि0 के पदों की संख्या	अतिरिक्त अनुसेवक/चैनमैन के पदों की संख्या (सेवायें आउटसोर्स)
1	2	3	4	5	6	7
1.	पिथौरागढ़	11	146	16	05	05
2.	चम्पावत	07	71	08	01	01
3.	बागेश्वर	07	60	06	03	03
4.	अल्मोड़ा	15	211	17	08	08
5.	नैनीताल	09	55रा0उ0नि0पट0 50रा0उ0नि0लेख0	07(पर्वतीय) 07(मैदानी)	01(पर्वतीय)	01(पर्वतीय)
6.	ऊधमसिंहनगर	08	144	14	02	02
	योग	**57**	**737**	**75**	**20**	**20**
7.	टिहरी गढ़वाल	14	183	14	08	08
8.	उत्तरकाशी	08	96	15	02	02
9.	पौड़ी गढ़वाल	10	234 रा0उ0नि0पट0 04 रा0उ0नि0लेख0	23	06(पर्वतीय) 01(मैदानी)	06(पर्वतीय) 01(मैदानी)
10.	देहरादून	07	39 रा0उ0नि0पट0 73 रा0उ0नि0लेख0	04(पर्वतीय) 05(मैदानी)	01(पर्वतीय) 02(मैदानी)	01(पर्वतीय) 02(मैदानी)
11.	रूद्रप्रयाग	04	52	06	02	02
12.	चमोली	11	74	10	02	02
13.	हरिद्वार	06	156	08	07	07
	योग	**60**	**911**	**85**	**31**	**31**
	महायोग	**117**	**1648**	**160**	**51**	**51**

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6–लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–103–भू–अभिलेख–03–जिला अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–307/XXVII(7)/2020 दिनांक 19 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)

संख्या– (1)/XVIII(1)/2020-02(17)/2009 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–7।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव